रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263442
CG-DL-E-28052025-263442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947
No. 307]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 350(अ).— अंतर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) (पहला संशोधन) नियम, 2025 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 29 अक्टूबर, 2024 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख जिसको, उक्त अधिसूचना को अंतवर्लित करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 अक्टूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 51 की उपधारा (1) और धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यठ) और खंड (ययक) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) संशोधन नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंतर्देशीय जलयान (अग्नि शमन उपकरण) नियम, 2022 के नियम 2 के उपनियम (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी ।"

[फा.सं. आईडबल्यूटी-11011/91/2021- आईडबल्यूटी(8)]

पी के रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 7 जून, 2022 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 426(अ) तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 350(E).— Whereas draft of the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 672 (E), dated the 29th October, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th October, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 29th October, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clauses (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022, namely. –

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022, in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following explanation shall be inserted, namely. –

"**Explanation.–** For the purposes of this clause, Gross Tonnage of vessels of 24 meters or above shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987, as amended from time to time.".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(8)]

P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)

Note: The prinicipal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 426(E), dated the 7th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.05.28 22:37:49 +05'30'